

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न० राजस्व प्रकरण 112/2023

प्रार्थनी :- सीमादेवी पत्नी केसाराम जाति पटेल, निवासी आराबा उडो, तहसील कल्याणपुर, जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. चैनाराम पुत्र राणाराम जाति पटेल, निवासी चाली, तह० लूणी, जिला जोधपुर।
2. शेराराम पुत्र हुकराम जाति चौधरी, निवासी रामनगर थोब, तह० कल्याणपुर, जिला बाडमेर।
3. लीलादेवी पत्नी भंवराराम जाति पटेल जाति चौधरी, निवासी थोब, तह० कल्याणपुर, जिला बाडमेर।
4. अचलाराम पुत्र मेहराम जाति चौधरी
5. मांगीलाल पुत्र मेहराम जाति चौधरी
6. सुरताराम पुत्र मेहराम जाति चौधरी
7. गणेश कंवर पत्नी जितेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी सभी निवासीयान रामनगर थोब, तह० कल्याणपुर, जिला बाडमेर
8. गजरो पत्नी रामाराम
9. प्रभुराम पुत्र रामाराम
10. भीखाराम पुत्र रामाराम सभी जातियान कलबी निवासी थोब, तह० कल्याणपुर, जिला बाडमेर
11. जुगराज पुत्र मोहनलाल जाति सुथार, निवासी समदडी तह० समदडी, जिला बाडमेर
12. राज. सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर, जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा०भू रा० अधि० बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु


उपस्थित :-

1. श्री ओम सिंह राजपुरोहित, प्रार्थनी अधिवक्ता
2. विप्रार्थी संख्या 1 से 12 एक पक्षीय

'आदेश'

दिनांक :- 27.6.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थनी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा ग्राम रामनगर, पटवार क्षेत्र थोब, भू-अभिलेख निरीक्षक थोब, तह० कल्याणपुर, जिला बाडमेर मे खेत खसरा संख्या 703/602 रकबा 0.0486 हैक्टयर किस्म बा. अब्ल व खसरा संख्या 653/599 रकबा 0.1295 हैक्टयर किस्म


उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

बा.अ. अवस्थित है तथा प्रार्थनी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 600/445 रकबा 1.4245 हैक्टेयर किस्म बा. अक्वल सरहद मौजा रामनगर , पटवार क्षेत्र थोब, भू.अ.नि. क्षेत्र थोब, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर मे अवस्थित है । जिस पर प्रार्थनी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया विप्रार्थीगण नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि मौजा ग्राम रामनगर, पटवार क्षेत्र थोब, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर मे खेत खसरा संख्या 703/602 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म बा. अक्वल व खसरा संख्या 653/599 रकबा 0.1295 हैक्टेयर किस्म बा.अ. अवस्थित है तथा प्रार्थनी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 600/445 रकबा 1.4245 हैक्टेयर किस्म बा. अक्वल सरहद मौजा रामनगर , पटवार क्षेत्र थोब, भू.अ.नि. क्षेत्र थोब, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर आई हुई है । जिस पर प्रार्थनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगणकी भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगणद्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम रामनगर, पटवार क्षेत्र थोब, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर मे खेत खसरा संख्या 703/602 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म बा. अक्वल व खसरा संख्या 653/599 रकबा 0.1295 हैक्टेयर किस्म बा.अ. अवस्थित है तथा प्रार्थनी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 600/445 रकबा 1.4245 हैक्टेयर किस्म बा. अक्वल सरहद मौजा रामनगर , पटवार क्षेत्र थोब, भू.अ.नि. क्षेत्र थोब, तह0 कल्याणपुर,

जिला बाडमेर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।



उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जिस पर 18

हमने वकील प्रार्थिनी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा ग्राम रामनगर, पटवार क्षेत्र थोब, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर में खेत खसरा संख्या 703/602 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल व खसरा संख्या 653/599 रकबा 0.1295 हैक्टेयर किस्म बा.अ. अवस्थित है तथा प्रार्थिनी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 600/445 रकबा 1.4245 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल सरहद मौजा रामनगर, पटवार क्षेत्र थोब, भू.अ.नि. क्षेत्र थोब, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर में भूमि प्रार्थिनीकी खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत् 2079-2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है। विप्रार्थीगण को बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए हैं। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम रामनगर, पटवार क्षेत्र थोब, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर में खेत खसरा संख्या 703/602 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल व खसरा संख्या 653/599 रकबा 0.1295 हैक्टेयर किस्म बा.अ. अवस्थित है तथा प्रार्थिनी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 600/445 रकबा 1.4245 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल सरहद मौजा रामनगर, पटवार क्षेत्र थोब, भू.अ.नि. क्षेत्र थोब, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकदर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1500/- प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते हैं पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो।



(विवेक व्यास)

(विवेक व्यास)

उपखण्ड अधिकांशिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 27.06.2023 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)

उपखण्ड अधिकांशिकारी
(S.D.O.) बालोतरा